

दूरभाष Telephone: (0824)2435888/2432955

फैक्स Fax: (0824) 2432122

ई-मेल E-mail: ro.mangalore@epfindia.gov.in



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office "भविष्य निधि भवन" "Bhavishya Nidhi Bhawan"

डा.पे.सं. P.B. No.572, हैलैंड्स Highlands, सिल्वा रोड Silva Road,

मंगलूरु Mangaluru -575 002



No/KN/MN/RO/ADM I/F.103A/231/2019-20

Date: 20-08-2019

इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित EXPRESSION OF WILLINGNESS CALLED

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक सांविधिक निकाय है। "भविष्य निधि भवन" डा.पे.सं. हैलैंड्स मंगलूरु-575 002 में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए केंद्र / राज्य सरकार/ केंद्र / राज्य सरकार के अंतर्गत आनेवाले अर्ध-सरकारी एजेंसियों से "मंगलूरु में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों का वार्षिक रखरखाव" का कार्य करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

Employees' Provident Fund Organisation, a statutory body under the Ministry of Labour, Government of India having it's Regional Office at Bhavishya Nidhi Bhavan, Post Box No. 572, Highlands, Mangaluru-575002 invites Expression of willingness from Central/State Government/Semi-Government agencies under Central/State Government for taking up the work of "Annual Maintenance of Office Building and Staff Quarters at Mangaluru".

भवन का विवरण यहां प्रस्तुत है: The details of Buildings are furnished here under:

क्रमांक Sl. No.	भवन का विवरण Description of Building	कुल प्लिथ एरिया Total Plinth Area	निर्माण का वर्ष Year of construction
1	सामान्य कार्यालय भवन Normal Office Building	37,680 वर्ग फुटSq.Ft.	11/2000
2	स्टाफ क्वार्टरों Staff Quarters टाइप Type-I - <u>16 units</u> टाइप Type-II - <u>48 units</u> टाइप Type-III - <u>40 units</u> टाइप Type-IV - <u>08 units</u> टाइप Type-V - <u>01 units</u>	84,650 वर्ग फुटSq.Ft.	04/2001

2. काम को सी पी डब्ल्यू विनिर्देशों / मानदंडों के आधार पर और जी एफ आर प्रावधानों और सी वी सी के दिशानिर्देशों का पालन करके निष्पादित किया जाना है। इच्छुक एजेंसी को ई पी एफ ओ मानक प्रारूप के आधार पर वार्षिक रखरखाव

अनुबंध के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। संदर्भ के लिए अनुबंध के मानक प्रारूप की एक प्रति इस कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच एकत्रित की जा सकती है।

2. The work is to be executed based on CPWD specifications/norms and by following GFR provisions and CVC guidelines. The willing agency has to sign an agreement based on the EPFO's standard format of Agreement for Annual Maintenance Contract. A copy of the standard format of Agreement can be collected for reference from this office on all working days between 10.00 AM to 05.00 PM.

3. इच्छुक एजेंसियां निम्नलिखित दस्तावेजों / विवरणों के साथ 12.09.2019 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले एक सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी को अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति भेज सकती हैं:

3. The willing agencies may send their Expression of willingness to the undersigned in a sealed envelope on or before 03.00 PM on 12.09.2019, along with the following documents/details:

ए) सी पी डब्ल्यू विनिर्देशों / मानदंडों के आधार पर और जी एफ आर प्रावधानों और सी वी सी के दिशानिर्देशों का पालन कर के कार्य निष्पाद करने का वचन बंध।

a) Undertaking to execute the work based on CPWD specifications/norms, and following GFR provisions and CVC Guidelines.

बी) संगठन की प्रोफाइल और ई पी ए फ ओ या अन्य किसी सरकारी विभाग के साथ पिछले अनुभव।

b) The profile of the Organisation and past experience with EPFO or any other Government Department.

सी) लगाये जानेवाले एजेंसी शुल्क के दर (विभागीय शुल्क)। कर यदि कोई हो तो।

c) The rate of Agency charges (Departmental Charges) to be levied. Taxes if any.

डी) अन्य नियम और शर्तें यदि कोई हो।

d) Other terms and conditions if any.

4. एजेंसियों के प्रतिनिधियों यदि कोई हो की उपस्थिति में उसी दिन 4.00 बजे ई ओ डब्ल्यू खोले जाएंगे। बिना किसी कारण के कोई या सभी ई ओ डब्ल्यू को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त-1, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूरु आरक्षित रखते हैं।

4. The EOWs shall be opened at 4.00 PM on the same day in presence of the representatives of agencies, if any. The Regional P.F. Commissioner-1, Regional Office, Mangaluru reserves right to accept or reject any or all the EOWs without reasons thereof.

(विन्सेंट जेकब चेरु VINCENT JACOB CHERU)

सहायक भ.नि.आयुक्त(प्रशासन)

ASSISTANT P.F. COMMISSIONER (Adm.)